

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

**विषय :-** बिहार अग्निशाम सेवा द्वारा अग्नि-निरोध के संबंध में प्रचार-प्रसार करने हेतु हैण्ड बिल, लिफ लेट एवं फन बुक छपाई हेतु कुल अधियाचित राशि ₹ 15,61,931 (पन्द्रह लाख एकसठ हजार नौ सौ एकतीस रू0) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्यालय, राज्य अग्निशाम सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1412, दिनांक-19.03.2016 एवं पत्रांक-2880, दिनांक-02.08.2016 के संबंध में कहना है कि बिहार अग्निशाम सेवा द्वारा अग्नि-निरोध के संबंध में प्रचार-प्रसार करने हेतु हैण्ड बिल, लिफ लेट एवं फन बुक छपाई हेतु बिहार स्टेट टेस्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य पुस्तक भवन, बुद्धमार्ग, पटना द्वारा दिये गये निम्नानुसार आकलित राशि के आधार पर कुल ₹ 15,61,931 (पन्द्रह लाख एकसठ हजार नौ सौ एकतीस रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1.	जिला स्तरीय 40 अग्निशामालय के लिए - हैण्ड बिल 04 प्रकार की छपाई हेतु प्रति फायर स्टेशन 500-500 प्रति, 500X4 =2000X40= 80,000 प्रति X ₹ 13.12	10,49,600
2.	जिला स्तरीय 40 अग्निशामालय के लिए - लिफ लेट 01 प्रकार का छपाई हेतु प्रति फायर स्टेशन 500-500 प्रति, 500X1 =500X40= 20,000 प्रति X ₹ 3.00	60,000
3.	प्रमंडलीय 09 अग्निशामालय के लिए - हैण्ड बिल 04 प्रकार का छपाई हेतु प्रति फायर स्टेशन 300-300 प्रति, 300X4= 1200X9 =10,800X13.12	1,41,696
4.	प्रमंडलीय 09 अग्निशामालय के लिए - लिफ लेट 01 प्रकार का प्रति फायर स्टेशन 300-300 प्रति, 300X1 =300X9=2700 प्रति X 3.00	81,000
5.	प्रमंडलीय 09 अग्निशामालय के लिए - फन बुक प्रति फायर स्टेशन 300-300 प्रति, 300X1 =300X9=2700X85.05	2,29,635
<b>कुल राशि</b>		<b>₹ 15,61,931</b>

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना के मांग संख्या-22 मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 108-अग्नि से बचाव एवं नियंत्रण, उपशीर्ष 0001-अग्नि रक्षा सेवा, विषय शीर्ष-26 01-विज्ञापन और प्रकाशन, विपत्रकोड-N2070001080001 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जाय।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य

किया जाय।

7. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

9. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-17/2016गृ0आ0..... 9329 पटना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा  
28/11/16

सरकार के अवर सचिव

28/11/16